डिस्कलेमर

आदेश संख्या 15/2024-25 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20010/ए.ए.एस.पी.एल/सीएच/श्रीनगर/सीपी-I/2025-29

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

आदेश संख्या 15/2024-25

ऐरा कार्यालय,
तृतीय तल, उड़ान भवन
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली-110003

जारी करने की तारीख: 31.01.2025

सेवा	:	**कार्गो हैंडलिंग सेवाएं**
सेवा प्रदाता	:	**अरुण एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड**
हवाईअड्डा	:	**श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा**
हवाईअड्डा प्रचालक	:	**भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**

विषय: मैसर्स अरुण एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, श्रीनगर में प्रदान की जाने वाली अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण।

अरुण एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की प्रस्तुति

1 मैसर्स अरुण एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एएएसपीएल) ने अपने दिनांक 08.10.2024 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि उन्हें एआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज लिमिटेड (एआईसीएलएएस) द्वारा शेख उल-आलम अंतररष्ट्रीय हवाईअड्डे (श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे) के प्रचालन और प्रबंधन (ओ एंड एम) के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए रियायत दी गई है, जिसमें दो वर्ष तक रियायत को आगे बढ़ाने का प्रावधान भी है।

2 मैसर्स एएएसपीएल ने उपर्युक्त पत्र में बताया कि वे संबंधित विनियामक प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद श्रीनगर हवाईअड्डे पर अपने प्रचालन शुरू कर देंगे। स्वतंत्र सेवा प्रदाता ने यह भी बताया कि श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर इनकी प्रस्तावित कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) तैयार किया जा रहा है और इसे नियमित टैरिफ निर्धारित करने के लिए जल्द ही प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

3 इसी बीच मैसर्स एएएसपीएल ने प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वह उसी टैरिफ के लिए अनुमोदन प्रदान करे, जो ऐरा द्वारा दिनांक 05.07.2022 के टैरिफ आदेश संख्या 13/2022-23 के माध्यम से मैसर्स एआईसीएलएएस के लिए वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की तारीख से 6 माह की अवधि के लिए या ऐरा द्वारा नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर अनुमोदित की गई थी।

प्राधिकरण की जांच

4 प्राधिकरण नोट करता है कि अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एएआईसीएलएएस द्वारा दो पृथक कार्गो टर्मिनल प्रचालित किए जाते हैं।

एएआईसीएलएएस ने श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अंतरदेशीय कार्गो टर्मिनल के प्रचालन और प्रबंधन के लिए नई एजेंसी नियुक्ति करने के लिए निविदा जारी की। जबकि, एएआईसीएलएएस श्रीनगर हवाईअड्डे पर अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करना जारी रखेगी। मैसर्स एएएसपीएल को श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अंतरदेशीय एयर कार्गो टर्मिनल के प्रचालन और प्रबंधन (ओ एंड एम) के लिए प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए नई एजेंसी के रूप में चुना गया।

5 प्राधिकरण नोट करता है कि एएएसपीएल ने दिनांक 08.10.2024 के पत्र के माध्यम से श्रीनगर हवाईअड्डे पर अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ के अनुमोदन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अपनी अंतरदेशीय कार्गो सुविधा के लिए एएआईसीएलएएस के लिए लागू मौजूदा टैरिफ के आधार पर है।

6 एएएसपीएल के प्रस्ताव की आरंभिक समीक्षा के उपरांत प्राधिकरण ने देखा कि प्रस्ताव में कुछ कमियां/सूचनाएं कम है और तदनुसार एएएसपीएल से निम्नलिखित बिंदुओं पर अपेक्षित जानकारी/स्पष्टीकरण मांगा:

(i) श्रीनगर हवाईअड्डे पर अंतरदेशीय एयर कार्गो टर्मिनल के प्रचालन और प्रबंधन के संबंध में एएआईसीएलएएस और एएएसपीएल के बीच निष्पादित करार की प्रति।

(ii) श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर विनियमित एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मैसर्स अरुण एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में बीसीएएस द्वारा दी गई सुरक्षा अनुमति की प्रति।

(iii) श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कार्गो प्रचालन शुरू होने की संभावित तारीख।

7 ऐरा के प्रश्नों के जवाब में, एएएसपीएल ने दिनांक 01.11.2024 की ईमेल के माध्यम से श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के प्रचालन और प्रबंधन के संबंध में प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख से प्रभावी एएआईसीएलएएस और एएएसपीएल के बीच निष्पादित करार की प्रति प्रस्तुत की, जिसे दोनों पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों और अनुबंधों पर दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

8 मैसर्स एएएसपीएल ने हवाईअड्डों पर विनियमित एजेंट (आरए) के रूप में कार्य करने वाले आईएसपी को सुरक्षा अनुमति के संबंध में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) से दिनांक 18.09.2024 के पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की। प्राधिकरण नोट करता है कि सुरक्षा अनुमति इसे जारी करने की तारीख अर्थात 18.09.2024 से पांच वर्ष की अवधि या हवाईअड्डा प्रचालक के साथ अनुबंध की वैधता की अवधि, जो भी पहले हो, तक वैध है।

9 इसके अतिरिक्त, मैसर्स एएएसपीएल ने बताया कि वे संभवत: जनवरी, 2025 में श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अपने अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग प्रचालन प्रारंभ कर देंगे।

10 इसके बाद, मैसर्स एएएसपीएल ने दिनांक 16.12.2024 के अपने पत्र संख्या एएएसपीएल/एईआरए/2024-25/001 के माध्यम से श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रस्तावित अपनी अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) प्रस्तुत किया।

11 प्राधिकरण ने एएएसपीएल के अनुरोध की जांच करने के बाद महसूस किया कि ऐरा के टैरिफ दिशानिर्देश-2011 के अनुसार आईएसपी के एमवाईटीपी की प्रस्तुति की जांच और मैसर्स एएएसपीएल के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित करने के लिए टैरिफ आदेश जारी करने में कुछ समय लगेगा। इस बीच, नई एजेंसी द्वारा अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग प्रचालन शुरू करने की सुविधा के लिए, प्राधिकरण मैसर्स एएएसपी को श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग सेवा के लिए दिनांक 05.07.2022 के आदेश संख्या 13/2022-23

के माध्यम से एएआईसीएलएएस के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर टैरिफ लगाने की अनुमति देने का निर्णय लेता है।

मैसर्स एएएसपीएल के लिए प्राधिकरण द्वारा सुविचारित तदर्थ टैरिफ (अनुलग्नक-I के अनुसार) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 30.06.2025 तक या आईएसपी के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी होगी।

आदेश

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :

(i) मैसर्स अरुण एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एएएसपीएल) को श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सीओडी से 30.06.2025 तक या इसकी प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए आईएसपी के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, संलग्नक -I के अनुसार अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ आधार पर टैरिफ लगाने की अनुमति दी जाती है।

(ii) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ प्रयोक्ताओं से वसूले जाने वाले अधिकतम प्रभार होंगे और अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाए।

(iii) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ में लागू कर, शामिल नहीं है।

(iv) हवाई अड्डा प्रचालक एएएसपीएल द्वारा श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में अनुमोदित टैरिफ सभी हितधारकों की जानकारी के लिए अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा।

(v) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवा में

श्री योगेन्द्र कुमार तोमर, अध्यक्ष,
अरुण एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,
गोमती टॉवर, डीसी ऑफिस के सामने,
केलिस्टा रिसोर्ट के पास, कापसहेड़ा,
नई दिल्ली-110097

प्रति सूचनार्थ:

1 सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003

2 श्री अजय भारद्वाज (सीईओ) एएआईसीएलएएस, एएआईसीएलएएस परिसर, डेल्ही फ्लाईंग क्लब रोड़, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003

3 श्री जावेद अरुण, हवाईअड्डा निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, शेख उल-आलम अंतररष्ट्रीय हवाईअड्डा, जम्मू एवं कश्मीर